



Neutral Citation No. - 2026:AHC:124723

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत आवेदन अन्तर्गत धारा 482 संख्या - 2597 वर्ष 2026

सूरज उर्फ राजू उर्फ सुंदर सिंह

.....आवेदक (गण)

बनाम

उ. प्र. राज्य एवं 3 अन्य

.....विपक्षी (गण)

आवेदक (गण) की ओर से अधिवक्ता : सच्चिदानंद तिवारी

विपक्षी (गण) की ओर से अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता, राम कृष्ण मिश्रा

न्यायालय संख्या - 7

माननीय न्यायमूर्ति जय प्रकाश तिवारी

1. आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता के साथ-साथ राज्य की ओर से विद्वान एजीए को सुना और रिकॉर्ड का अवलोकन किया।
2. निर्देशों के अनुसार, विद्वान एजीए द्वारा यह प्रस्तुत किया जाता है कि सूचनाकर्ता को नोटिस दिया गया है।
3. वर्तमान प्रार्थना पत्र आवेदक की ओर से सत्र विचारण संख्या 3977/2025, जो परिवाद संख्या 54/2024, धारा 333, 76, 115(2) भारतीय न्याय संहिता तथा धारा 7/8 पॉक्सो अधिनियम, थाना कोतवाली देहात, जनपद बुलन्दशहर से उत्पन्न है, में अग्रिम जमानत प्रदान किए जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है।
4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह प्रस्तुत किया जाता है कि आवेदक निर्दोष है और गुप्त उद्देश्य के कारण वर्तमान प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। इसके बाद यह प्रस्तुत किया जाता है कि एफआईआर दर्ज करने के लिए विपक्षी संख्या 2 द्वारा धारा 175 (3) बीएनएसएस

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



के तहत एक आवेदन दायर किया गया था और उक्त शिकायत के आधार पर, आवेदक को संबंधित अदालत द्वारा तलब किया गया था। यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि शिकायतकर्ता द्वारा संबंधित अदालत के समक्ष चोट के संबंध में कोई भी सामग्री प्रस्तुत नहीं की गई है। इसके बाद यह प्रस्तुत किया जाता है कि आवेदक को उपर्युक्त प्रकरण में किसी भी समय पुलिस द्वारा गिरफ्तारी की आशंका है, जबकि उसके खिलाफ कोई विश्वसनीय सबूत नहीं है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा कर दिया जाता है, तो वह स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और जांच/मुकदमे में सहयोग करेगा।

5. इसके विपरीत, विद्वान एजीए ने अग्रिम जमानत के लिए प्रार्थना का विरोध किया।

6. सुशीला अग्रवाल और अन्य बनाम राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली) और अन्य, (2020)

5 एससीसी 1 में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस विषय पर कानून को अंतिम रूप से यह कहते हुए तय किया है कि अग्रिम जमानत हमेशा सीमित अवधि की नहीं होनी चाहिए। उपयुक्त प्रकरण में, यह मुकदमे के समापन तक जारी रह सकता है। इसमें आगे यह व्यवस्था दी गई है कि अभियुक्त के आचरण और व्यवहार के आधार पर दी गई अग्रिम जमानत मुकदमे तक आरोप पत्र दाखिल करने के बाद जारी रह सकती है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आगे यह व्यवस्था दी गई है कि अग्रिम जमानत प्रदान करने के लिए एक आवेदन पर विचार करते समय, न्यायालय को अपराध की प्रकृति, व्यक्ति की भूमिका, उसके द्वारा जांच के क्रम को प्रभावित करने की संभावना, या गवाहों को डराने सहित सबूतों के साथ छेड़छाड़, न्याय से भागने की संभावना, जैसे कि देश छोड़ने पर विचार करना होगा। आदि। यह भी अभिनिर्धारित किया गया है कि न्यायालयों को आम तौर पर अपराधों की प्रकृति और गंभीरता, आवेदक को जिम्मेदार ठहराया गया भूमिका और प्रकरण के तथ्यों जैसे विचारों से निर्देशित किया जाना चाहिए, जबकि इस बात पर विचार किया जाना चाहिए कि अग्रिम जमानत दी जाए या इसे अस्वीकार किया जाए। अनुदान देना है या नहीं देना यह विवेक का प्रकरण है।

7. अग्रिम जमानत, आरोप की प्रकृति, आवेदक की भूमिका और प्रकरण के सभी उपस्थित तथ्यों और परिस्थितियों के संबंध में कानून के स्थापित सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, प्रकरण के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मेरे विचार में, यह मुकदमे तक आवेदक को अग्रिम जमानत के लिए एक उपयुक्त प्रकरण है।

8. आवेदन तदनुसार स्वीकृत किया जाता है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



9. आवेदक सूरज उर्फ राजू उर्फ सुन्दर सिंह को निर्देशित किया जाता है कि वह आज से 15 दिनों की अवधि के भीतर इस आदेश की एक प्रति सहित विवेचना अधिकारी/संबंधित न्यायालय के समक्ष उपस्थित हो तथा संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अधीन समान धनराशि के व्यक्तिगत बंधपत्र एवं दो-दो प्रतिभूतियाँ प्रस्तुत करे। तत्पश्चात उसे विचारण की समाप्ति तक निम्नलिखित शर्तों के अधीन अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाए :-

(i) आवेदक प्रकरण में निर्धारित तारीख को संबंधित जांच अधिकारी/न्यायालय के समक्ष स्वयं को उपस्थित करेगा और जांच/विचारण में सहयोग करेगा।

(ii) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रकरण के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा ताकि उसे न्यायालय या किसी पुलिस कार्यालय में ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके।

(iii) आवेदक न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा/छोड़ेगी तथा यदि उसके/उसकी पासपोर्ट है, तो वह उसे संबंधित वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक के समक्ष जमा करेगा/करेगी।

10. किसी भी शर्त के चूक के प्रकरण में, यह आवेदक को दी गई सुरक्षा को रद्द करने का आधार हो सकता है।

(न्यायमूर्ति जय प्रकाश तिवारी)

2 जून 2026

एस.के.